राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन

क्रमांक एफ.वी.5(1)स्थानान्तरण/अ/2019/5601 जयपुर दिनांक 11/3/19

आदेश

आगामी लोकसभा आम चुनाव 2019– आदर्श आचार संहिता दिनांक 10.03.2019 से लागू होने के कारण शासन एवं निदेशालय के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व पशुपालन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि जो अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व स्थानान्तरण आदेशानुसार स्वतः ही कार्यमुक्त हो गये है, किन्तु उन्होंने गन्तव्य स्थान पर कार्यग्रहण नही किया है, वे सभी अग्रिम आदेशों तक नव पदस्थापन स्थान के जिला मुख्यालय पर विभाग संयुक्त निदेशक कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

नियंत्रण अधिकारी आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात जिला मुख्यालय पर उपस्थित होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की सूचना तत्काल निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।

(डा. शैलेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.वी.5(1)स्थानान्तरण/अ/2019/5602-50 जयपुर दिनांक 11/3/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, पशुपालन विभाग को पालनार्थ।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को पालनार्थ।
6. रक्षित पंजिका।

निदेशक